P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-3 February -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

महिला प्रवास एवं आर्थिक सशक्तिकरण : दिल्ली का एक अध्ययन

Women Migration and Economic Empowerment: A Study of Delhi

Paper Submission: 30/01/2021, Date of Acceptance: 25/01/2021, Date of Publication: 26/01/2021

ज्योति
पोस्ट डोक्टोरल फेलो,
राजनीति शास्त्र विभाग,
भारतीय सामाज विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

प्रवास एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा एक स्थान से स्थानांतरित करने के लिए किया गया तर्कसंगत निर्णय है। किसी क्षेत्र विशेष के उपेक्षित समूहों के द्वारा सर्वाधिक प्रवास किया जाता है। किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के समुचित अवसर, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, सुरक्षा, मानवीय अधिकार एवं बेहतर पारिस्थितिक दशाओं आदि से प्रवास विशेष रूप से प्रभावित होता है। राजधानी दिल्ली में प्रवासियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बिहार से काफी संख्या में प्रवासी काम की तलाश में या अन्य कारणों से दिल्ली में आते हैं तथा प्रवासी जीवन व्यतीत करते हैं। यह लेख बिहार से दिल्ली में प्रवास करने वाली बिहारी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है।

Migration is a rational decision made by an individual or group of individuals to move from one place to another.Most migration is done by neglected groups of a particular region. Migration is particularly affected by economic activities of a region, adequate employment opportunities, educational and health facilities, security, human rights and better ecological conditions, etc.The number of migrants in the capital, Delhi, has been steadily increasing. A large number of migrants from Bihar come to Delhi in search of work or for other reasons and migrants live their lives. This article deals with the economic empowerment of Bihari women migrating from Bihar to Delhi.

मुख्य शब्द : प्रवास, प्रवासी, बिहार, दिल्ली, महिलाएं, आर्थिक, सशक्तिकरण, कार्य,
पारिश्रमिक, घरेलु, कामकाजी, आर्थिक निर्णय, बैंक, भागीदारी।
Migration, Migrants, Women, Economic, Empowerment, Work, Earning, Domestic, Working, Financial Decisions, Bank, Participation

प्रस्तावना

यदि महिलाओं के सशक्तिकरण पर दृष्टि डाली जाए तो, पिछली शताब्दी के अंतिम दशक तक इसकी गति अति निम्न थी। यह भी कहा जा सकता है कि महिलाएं शक्तिहीन थीं। किंतु 1975 का दशक महिला दशक घोषित किया गया। उसके पश्चात महिला सशक्तिकरण का मुद्दा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। महिलाओं की निम्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि स्थितियों ने विद्वानों तथा सरकारों का ध्यान उनके सशक्तिकरण करने की ओर आकर्षित किया। सशक्तिकरण के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है कम शक्तिशाली समूह की शक्ति को बढ़ाना ताकि वह समूह शक्तिशाली समूह के समान बन सके (बद्रा : 2001: 61)

अतीत इस बात का साक्षी है कि, विश्व के वंचित समूहों में महिला वर्ग को सर्वाधिक शोषण एवं अत्याचार का सामना करना पड़ा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर तो कभी किसी ओर आधार पर महिलाओं को शोषित किया जाता रहा है। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। यदि 21वीं सदी की बात की जाए तो आज भी महिलाओं के प्रति अत्याचार कम नहीं हैं। बलात्कार, हिंसा, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि भेदभावों का सामना आज भी महिलाएं कर रहीं है। आज भी महिलाएं घर से

निकलने पर घबराती हैं। भारत के अनेक भागों में आज भी उन्हें चुड़ैल कह कर प्रताड़ित किया जाता है, उनपर पथराव किया जाता है, छोटे बड़े बहानों से उनका शोषण किया जाता है। प्रत्येक युग में महिलाओं को पुरुषों से निम्न ही समझा गया है तथा लगभग प्रत्येक मानवीय सभ्यता में उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहा है (लांग्लेय एवं फोक्स : 1994 : 100)। कई स्थानों पर उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किया जाता है। शादी, शिक्षा, रोजगार संबंधित निर्णय लेने में वे आज भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। अतः वे पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हैं।

प्रस्तुत लेख बिहार से दिल्ली में प्रवास करने वाली महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें प्रवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं सशक्तिकरण के वर्तमान रूप को प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

लेख का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बिहार राज्य से प्रवास करने वाली महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण नामक पहलु को सामने लेकर आना है। दिल्ली में जो महिलाएं प्रवासी जीवन व्यतीत कर रही हैं उनके प्रवास करने का मुख्य कारण उनकी वैवाहिक स्थिति है। अर्थात इनके पति या तो शादी से पहले से ही दिल्ली में कार्यरत थे या फिर काम की तलाश में दिल्ली आए थे। इस कारण से इन महिलाओं को भी दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में रहते हुए ये महिलाएं चाहे घरेलु हों या कामकाजी सभी व्यक्तिगत स्तर स्वयं की आर्थिक परिस्थिति को सुधारना चाहती हैं। इसके लिए ये हर संभव प्रयास भी करती हैं। अतः प्रस्तुत लेख में, प्रवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समझने का प्रयास किया जाएगा। कार्य के लिए प्रयास, कार्य की प्रकृति, स्थिति, पारिश्रमिक, सरकार से सहायता जैसे विषयों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

साहित्य समीक्षा

बद्रा (2001), सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कम शक्तिशाली समूह की शक्ति को बढ़ाना ताकि वह समूह शक्तिशाली समूह के समान बन सकेसशक्तिकरण कहलाता है।

लांग्लेय एवं फोक्स (1994), ने अपने कार्यों में स्पष्ट किया है कि, प्रत्येक युग में महिलाओं को पुरुषों से निम्न ही समझा गया है तथा लगभग प्रत्येक मानवीय सभ्यता में उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहा है। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

सिंह (1986), के अनुसार महिला प्रवास को आमतौर पर भारत में निष्क्रिय और साहचर्य के रूप में देखा जाता है। यहां पर यह समझा जाता है कि प्रवासी महिलाओं की कोई विशेष भूमिका नही है।

गुप्ता (2017), प्रवास प्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि स्तरों को भी प्रभावित करने की बात करते हुए कहते हैं कि, जिस स्थान को प्रवासी छोड़ कर आते हैं तथा जहां पर वे प्रवास करते हैं वहां के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है।

चट्टोपाध्याय (2005), संसाधनों पर नियंत्रण के विषय में स्पष्ट करते हेइं कि, सशक्तिकरण का तात्पर्य संसाधनों और निर्णयों पर नियंत्रण से भी है। प्रवासी क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग प्रवासियों द्वारा किया जाता है।

सहाय सुषमा (1998), का कहना है कि सशक्तिकरण एक सक्रिय तथा एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाता है। क्योंकि एक नई जगह पर जाने से उन्हें ये लगता है कि जीवन में कुछ किया जाए। तथा वे इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं।

कपूर (2001), आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं के अधिक नियंत्रण से है।

टोडारो (1969), शहरों में रोजगार के अवसर तथा मजदूरी अधिक होती है, परंतु यह जरूरी नहीं कि यह वास्तविक भी हो। जितना कमाया जाता है उसका काफी बड़ा हिस्सा शहरी जीवन–यापन में ही खर्च हो जाता है। महिलाएं जो भी कमाती हैं वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाता है तथा बचत बहुत ही कम हो पाती है।

नायला (2011), ने प्रवासी महिलाओं की गतिशीलता की बात की है तथा कहा है कि, आर्थिक सशक्तीकरण से घर के बाहर महिलाओं की औपचारिक सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच, आर्थिक स्वतंत्रता, क्रय शक्ति और गतिशीलता बढ़ जाती है। जहां पर अपने मुख्य निवास स्थान पर उन्हें घर के परिवार वाले कुछ भी कार्य करने या घर से बाहर निकलने पर रोकते टोकते रहते हैं वहीं प्रवासी क्षेत्रों में ये महिलाएं स्वतंत्र रहती हैं।

सिंह अर्चना (2005), तथा मेहरा (1997), का कार्य स्पष्ट करता है कि नई आर्थिक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म निवेश निर्धनता को दूर करने का एक बहुत ही सशक्त यंत्र है।

गुप्ता (2006), महिला सशक्तीकरण विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाता है। अभी भी अधिकांश महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और उनकी समग्र स्थिति में बहुत कम प्रगति हुई है। इनका सुझाव है कि महिलाओं और विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण को शामिल करना चाहिए ।

आस्पि व संधु (1999), का कार्य लैंगिक समानता के संदर्भ में प्रवास तथा प्रवासी को समझने का प्रयास है जिसमें वह स्पष्ट करते हैं कि, लैंगिक समानता सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं में पूर्ण समानता की अधिकारी है।

प्रवास

प्रवास में परिवर्तन व्याप्त है । जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किन्हीं कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तथा वहीं पर रहना प्रारंभ कर देता है तो इस प्रक्रिया को प्रवास तथा व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है। पुश (धक्का) कारक एवं पुल (खींचना) कारक प्रवास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। पुश कारक वे हैं जो व्यक्ति को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं, और कई मामलों में, उन्हें मजबूर किया जाता है। पुश कारकों में संघर्ष, सूखा,

अकाल या अत्यधिक धार्मिक गतिविधियां शामिल हो सकती है। पुल कारक वे हैं जो स्वयं का घर छोड़ने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आकर्षित करते हैं। उन कारकों को स्थान उपयोगिता के रूप में जाना जाता है, जो एक जगह की वांछनीयता है तथा जो लोगों को आकर्षित करती है। बेहतर आर्थिक अवसर, अधिक नौकरियां और बेहतर जीवन का वादा अक्सर लोगों को नए स्थानों पर खींचता है। दिल्ली में भी प्रवास हुआ है तथा लगातार जारी है। यहां पर बिहार राज्य से भी काफी संख्या में प्रवास हुआ है। वर्तमान समय में निरंतर परिवर्तित होते समय में शहरों तथा महानगरों की ओर प्रवास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। महिला प्रवास को आमतौर पर भारत में निष्क्रिय और साहचर्य के रूप में देखा जाता है (सिंह : 1986) प्रवासन का अध्ययन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। यह प्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि स्तरों को भी प्रभावित करता है (गुप्ता:2017)

सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्त का अर्थ है सक्षम अर्थात मजबूत होना। सशक्त होने की प्रक्रिया सशक्तिकरण कहलाती है।

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके विभिन्न आयाम हैं। सशक्तिकरण बहुआयामी है और इसका संदर्भ है किसी एक के जीवन को आकार देने के लिए सभी क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) में चुनाव और कार्रवाई की स्वतंत्रता का विस्तार करना। इसका तात्पर्य संसाधनों और निर्णयों पर नियंत्रण से भी है (चट्टोपाध्याय 2005)। इसमें समान अवसर प्रदान करने की विद्यमानता होती है फिर वे समान अवसर पुरुषों के लिए हों या महिलाओं के लिए। इस प्रक्रिया में लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जहां महिलाओं की कम भागीदारी होती है वहां पर कम लोकतंत्र होता है तथा जहां पर महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वहां पर अधिक लोकतंत्र होता है (वेरबा एंड नाइ : 1972: 1) समानता की यही भावना उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। सशक्तिकरण का अर्थ है दयालुता की एक भावना जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की क्षमता को बढ़ाता है और वह कार्रवाई कर सकता है, जो दूसरे की शक्ति को बढ़ाता है (पेत्रिशिया, डार्लिंगटन एंड मुलवेनेय, 2003 : 12) सशक्तिकरण व्यक्ति एवं समुदायों के मध्य आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति को संदर्भित करता है सशक्तिकरण एक सक्रिय, बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाता है (सहाय सुषमा : 1998)

आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ

आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होना। आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाएं रोजगार संबंधी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पैसा कमाती हैं तथा अपनी व अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोग देती हैं। यह महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहयोग करती है। आर्थिक सशक्तिकरण को एक साधन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके द्वारा गरीब, भूमिहीन, वंचित और उत्पीड़ित लोगों को सभी प्रकार के अभाव और उत्पीड़न से मुक्त किया जा सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण निर्धनता के विरुद्ध एक शक्तिशाली यंत्र है (बिसवास : 2010)। आर्थिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं के अधिक नियंत्रण से है (कपूर : 2001)।

शोध–क्षेत्र तथा शोध–पद्धति

यह लेख दिल्ली में निवास करने वाली बिहार की प्रवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को स्पष्ट करता । आर्थिक कारक गांवों से शहरों की ओर प्रवास करने में एक प्रेरक कारक माना जाता है (पेंटरसन : 1955, ट्रेवर : 1961, सहोता : 1968, जोब्स पेट्रिक एटआल : 1992, वेन्क्स एंड हारडेस्टी : 1993) ।

प्रस्तुत लेख में दिल्ली में मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में निवास करने वाली बिहार की प्रवासी महिलाओं को उत्तरदाताओं के रूप में लिया गया है। उत्तरदाताओं की कुल संख्या 200 है। दिल्ली के ये तीन क्षेत्र हैं मैदानगढ़ी, शाहदरा तथा पंजाबी बाग। मैदानगढ़ी से कुल 80, शाहदरा से कुल 40 तथा पंजाबी बाग से कुल 80 प्रवासी महिलाओं को उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया है। शाहदरा दिल्ली के उत्तर–पूर्वी जिले का एक उप मंडल है। पंजाबी बाग दिल्ली के पश्चिम जिले का एक उप मंडल है। जबकि मैदानगढ़ी दिल्ली के दक्षिण जिले में स्थित है। शोध क्षेत्र के रूप में इन तीन क्षेत्रों के चुनाव का मुख्य कारण यह है कि यहां पर बिहार से आने वाली महिलाएं बहुतायत में प्रवासी के रूप में निवास करती हैं। शोध पद्दति के रूप में शोध क्षेत्र में जाकर 200 उत्तरदाताओं से उनके आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को पूछा गया तथा प्रश्नावली में उत्तरों को लिखा गया है। अतः स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के रूप में दिल्ली के जिन तीन मैदानगढ़ी, शाहदरा तथा पंजाबी बाग क्षेत्रों का चयन किया गया है वह पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। शोध क्षेत्रों का चयन करने के लिए स्थानीय निवासियों, जानकारों तथा शोध निदेशक से भी सलाह ली गई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा की सहायता भी ली गई है।

शोध क्षेत्रों में अलग – अलग समय अवधि के हिसाब से प्रवासी महिलाएं निवास कर रही हैं। समय अवधि को निम्न सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता हैः–

सारणी संख्या (1) प्रवास की समय अवधि : मैदानगढ़ी (80)

समय वर्ग (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0–10	45	56.25
11–20	24	30
21–30	5	6.25
31–40	6	7.5
कुल	80	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-3 February -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

सारणी संख्या (2)
प्रवास की समय अवधि : शाहदरा (40)

समय वर्ग (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0–10	23	57.05
11–20	8	20
21–30	5	12.5
31–40	4	10
कुल	40	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

सारणी संख्या (3)
प्रवास की समय अवधि : पंजाबी बाग (80)

समय वर्ग (वर्षों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0–10	44	55
11–20	27	33.75
21–30	7	8.75
31–40	2	2.5
कुल	80	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक उत्तरदाता जिन्हें दिल्ली में प्रवासी जीवन व्यतीत करते हुए 0 से10 वर्ष का समय हो चुका है की संख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात वे उत्तरदाता हैं जिनके निवास की अवधि 11–20 वर्ष (मैदानगढ़ीः 30 प्रतिशत शाहदरा : 20. प्रतिशत, पंजाबी बाग 33.75 प्रतिश.) है। इस वर्ग की प्रवासी महिलाएं पंजाबी बाग में अधिक हैं। अन्य वर्गों का विवरण सारणी से स्पष्ट हो जाता है।

लेख प्रस्ताव का उद्देश्य

लेख का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बिहार राज्य से प्रवास करने वाली महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण नामक पहलु को सामने लेकर आना है। दिल्ली में जो महिलाएं प्रवासी जीवन व्यतीत कर रही हैं उनके प्रवास करने का मुख्य कारण उनकी वैवाहिक स्थिति है। अर्थात इनके पति या तो शादी से पहले से ही दिल्ली में कार्यरत थे या फिर काम की तलाश में दिल्ली आए थे। इस कारण से इन महिलाओं को भी दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में रहते हुए ये महिलाएं चाहे घरेलु हों या कामकाजी सभी व्यक्तिगत स्तर स्वयं की आर्थिक परिस्थिति को सुधारना चाहती हैं। इसके लिए ये हर संभव प्रयास भी करती हैं। अतः प्रस्तुत लेख में, प्रवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समझने का प्रयास किया जाएगा। कार्य के लिए प्रयास, कार्य की प्रकृति, स्थिति, पारिश्रमिक, सरकार से सहायता जैसे विषयों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं

शोध क्षेत्रों में महिलाएं घरेलु, कामकाजी तथा विद्यार्थी वर्गों में वर्गीकृत हैं। निम्न सारणियां इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है।

सारणी संख्या (4) कार्य के आधार पर वर्गीकरण

क्रं सं.	क्षेत्र	उत्तरदों. की सं.	प्रतिशत
1	मैदानगढ़ी(घरेलू. कामकाजी. विद्यार्थी)	80 (57+23+0)	(71.25+28.75+0)
2	शाहदरा(घरेलू. कामकाजी. विद्यार्थी)	40 (17+22+1)	(42.5+55+2.5)
3	पंजाबी बाग(घरेलू. कामकाजी. विद्यार्थी)	80 (46+30+4)	(57.5+37.5+5)
4	कुल	200	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक घरेलू महिलाएं मैदानगढ़ी (71.25 प्रतिशत) में हैं, दूसरे स्थान पर पंजाबी बाग (57.5 प्रतिशत) तथा तीसरे एवं अंतिम स्थान पर शाहदरा (42.5:) है। जबकि कामकाजी महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत शाहदरा (55 प्रतिशत) में है। दूसरे स्थान पर पंजाबी बाग (37.5 प्रतिशत) तथा अंतिम स्थान पर मैदानगढ़ी है (28.75:)। उत्तरदाताओं में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक पंजाबी बाग (5.) में तथा सबसे कम शाहदरा (2.05:) में है जबकि मैदानगढ़ी में यह प्रतिशत शून्य है।

प्रवासी महिलाओं तथा आर्थिक सशक्तिकरण

आर्थिक सशक्तिकरण जनसंख्या के वंचित वर्ग को सशक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

शोध क्षेत्रों में प्रवासी महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण को समझने के लिए महिलाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथमय घरेलु महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण तथा द्वितीय कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण।

घरेलू महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण

घरेलु महिलाएं घर पर रहकर घर को संभालती हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ कार्य भी करती हैं। किंतु उन कार्यों के बदले में उन्हें बहुत ही कम आय प्राप्त होती है। वे बहुत ही कम पारिश्रमिक अर्जित कर पाती हैं। शाहदरा में घरेलु महिलाएं घर पर रहकर मसाले के पैकेट पर धागा बांधना, माता के श्रृंगार का सामान पैकट में बन्द करना, कपड़ों के लेबल पर धागा बांधना जैसे कार्य करती हैं। जबकि पंजाबी बाग में घरेलु महिलाएं रबड़ बैंड बनाना, पॉलिथीन के हैंगर लगाना, बल्ब का ढ़ांचा तैयार करना, जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। वैतनिक रोजगार ही आर्थिक सशक्तिकरण है (इलिऑट : 2008) । मैदानगढ़ी वह शोध क्षेत्र है जहां पर घरेलु महिलाओं को घर पर रहकर करने के लिए कोई भी कार्य उपलब्ध नहीं है। यहां पर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अति निम्न है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति कोई खास नही है। इन कार्यों से प्राप्त होने वाली आय बहुत ही सीमित होती है। फिर भी ये महिलाएं स्वयं को व्यस्त

रखने तथा कुछ पैसे कमाने के लिए इन कार्यों को करती हैं। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए देश में सतत विकास का होना अति आवश्यक है। सतत विकास पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को स्वीकार करता है तथा महिला सशक्तिकरण के बिना महिलाएं स्वयं को पुरुषों के समान स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाती हैं (शाह)।

कार्य के प्रकार तथा पारिश्रमिक

कार्य के प्रकार तथा पारिश्रमिक को निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या (5)

क्रं सं.	कार्य के प्रकार	पीस /पैकेट्स	पारिश्रमिक (रु.)
1	मसाले के पैकट पर धागे बांधना	1000	40
2	कपड़ों के लेबल पर धागे बांधना	1000	25/30
3	माता के श्रंगार के पैकट बनाना	12	3
4	रबड़ बैंड बनाना	1000	10
5	पॉलिथीन पर हैंगर लगाना	1000	100
6	बल्ब के होल्डर बनाना	1000	40

स्रोत– शोधकर्तता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकारों को चित्र के रूप में भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

चित्र सं. (1)

चित्र सं. (2)

चित्र सं. (3)

चित्र सं. (4)

स्रोत – शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

कार्यों के स्वरूपों को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये चित्र शोध क्षेत्र में जाकर महिलाओं की अनुमति से लिए गए हैं। उपरोक्त सारणियों तथा चित्रों से स्पष्ट है कि, मसाले के 1000 पैकेट पर धागे बांधने पर केवल 40 रु. मिलते हैं। कपड़ों के लेबल पर धागे बांधने पर 25 या 30 रु. मिलते हैं। माता के श्रंगार के 12 पैकेट तैयार करने पर 3 रु. मिलते है। महिलाएं 1000 रबड़ बैंड बनाने पर 10 रु. कमा पाती हैं। वहीं पॉलिथीन के 1000 थैलों पर हैंगर लगाने पर 100 रु. कमा पाती हैं। तथा बल्ब के 1000 होल्डर के ढ़ांचे तैयार करने पर 40 रु. का भुगतान महिलाओं को किया जाता है। स्पष्ट है कि कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक बहुत ही कम है। ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवास मुख्यतः आर्थिक विषमताओं से होता है। यह इस अनुमान पर आधारित होता है कि, शहरों में रोजगार के अवसर तथा मजदूरी अधिक होती है, परंतु यह जरूरी नहीं कि यह वास्तविक भी हो। जितना कमाया जाता है उसका काफी बड़ा हिस्सा शहरी जीवन–यापन में ही खर्च हो जाता है (टोडारो : 1969) यही कारण है कि महिलाएं सरकार से यह आशा रखती हैं कि, उनके लिए अच्छे कार्यों की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर सकें।

घरेलु महिलाएं सरकार से यह उम्मीद रखती हैं कि सरकार उनके लिए काम की व्यवस्था करे। महिलाए सिलाई कढ़ाई करना, आचार बनाना, मुरब्बा बनाना, अगरबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, सामान की पैकिंग करना, मसाले बनाना जैसे कार्य करना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त यह महिलाएं चाहती हैं कि कम शिक्षित होने के कारण इन्हें बाहर कोई काम नहीं मिलता है। अतः ये महिलाएं कम शिक्षित या अशिक्षित होने के कारण रोजगार की व्यवस्था करने की आशा सरकार से करती हैं। किंतु अधिकांश महिलाओं को अब सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। महिलाओं का कहना है कि, सरकार ने उनका आर्थिक स्तर सुधारने के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, मैदानगढ़ी नामक शोध क्षेत्र में तो घरेलु महिलाओं के लिए काम की कोई व्यवस्था ही नहीं है।

कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण

कामकाजी महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करती हैं। आर्थिक सशक्तीकरण से घर के बाहर महिलाओं की औपचारिक सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच, आर्थिक स्वतंत्रता, क्रय शक्ति और गतिशीलता बढ़ जाती है (नायला : 2011) कामकाजी महिलाएं घर से बाहर जाकर कार्य करती हैं। इन प्रवासी महिलाओं की संख्या मैदानगढ़ी में सर्वाधिक है। ये महिलाएं लोगों के घरों में साफ–सफाई करना, खाना बनाना तथा कपड़े धोने का कार्य करती हैं। इस क्षेत्र में कम शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं के लिए कार्य करने का कोई अन्य विकल्प नहीं हैं।

आर्थिक निर्णयों में भागीदारी

प्रवासी महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि, उन्हें आर्थिक निर्णयों में भागीदारी का कितना अवसर मिलता है। निम्न सारणी इस विषय को स्पष्ट कर देती है।

सारणी संख्या (6)
आर्थिक निर्णयों में भागीदारी की प्रतिशतता : मैदानगढ़ी (80)

क्रं सं.	वर्ग	उत्तरदा. की सं	उत्तरदा. का प्रतिशत
1	महिलाएं	10	12.5
2	पति की	26	32.5
3	दोनों की	44	55
4	अन्य की	0	0

5	कुल	80	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

सारणी संख्या (7)

आर्थिक निर्णयों में भागीदारी की प्रतिशतता : शाहदरा (40)

क्रं सं.	वर्ग	उत्तरदा. की सं	उत्तरदा. का प्रतिशत
1	महिलाएं	3	7.5
2	पति की	13	32.5
3	दोनों की	23	57.5
4	अन्य की	1	2.5
5	कुल	40	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

सारणी संख्या (8) आर्थिक निर्णयों में भागीदारी की प्रतिशतता : पंजाबी बाग (80)

क्रं सं.	वर्ग	उत्तरदा. की सं	उत्तरदा. का प्रतिशत
1	महिलाए	10	12.5
2	पति की	28	35
3	दोनों की	33	41.25
4	अन्य की	9	11.25
5	कुल	80	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी का प्रतिशत मैदानगढ़ी व पंजाबी बाग दोनों ही महिलाओं की क्षेत्रों में समान है। जबकि शाहदरा में यह दूसरे स्थान पर है। आर्थिक निर्णयों में महिला तथा पुरुष दोनों ही सर्वाधिक भागीदारी निभाते हैं। दोनों की भागीदारी का यह प्रतिशत शाहदरा (57.5 प्रतिशत) में सबसे अधिक जबकि दूसरे स्थान पर मैदानगढ़ी (55 प्रतिशत) तथा अंतिम स्थान पर पंजाबी बाग (41.25 प्रतिशत) है।

प्रवासी महिलाओं का बैंक में खाता

महिलाओं द्वारा अर्जित की गई आय का अधिकांश भाग घरेलु खर्चों में ही खर्च हो जाता है। बैंक में खाता संबंधी जानकारी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक अन्य भाग है। महिला सशक्तिकरण केवल समानता को ही इंगित नहीं करता है बल्कि सतत आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। नई आर्थिक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म निवेश निर्धनता को दूर करने का एक बहुत ही सशक्त यंत्र है (सिंह अर्चना : 2005)। निम्न सारणी स्पष्ट करती है कि, शोध क्षेत्र में कुल 200 उत्तरदातों में से किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का बैंक में खाता है।

सारणी संख्या (9) बैंक में स्वयं के नाम पर खाता होने की प्रतिशतता तीनो क्षेत्रों के कुल उत्तरदाता : 200

क्रं सं.	शोध क्षेत्र	उत्तरदा. की सं.	उत्तरदा. का प्रतिशत
1	खाता है	91	45.5
2	खाता नहीं है	109	54.5
3	कुल	200	100

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

यहां पर पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि, कुल उत्तरदाताओं में से आधे से भी कम (45.5 प्रतिशत) संख्या में उत्तरदाताओं के पास बैंकों में खाता है। जबकि आधे से अधिक (54.5 प्रतिशत) प्रवासी महिलाओं का बैंक में कोई भी खाता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि, रोजगार से उन्हें इसनी कमाई नहीं हो पाती है कि वे भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकें। इसका अन्य कारन यह है कि, प्रवासी होने के कारण वे बैंकों में अपना खाता खोलना जरूरी नहीं समझती हैं साथ ही उनमें जागरूकता का भी अभाव है। अतः उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी अधिक नहीं हो पाता है।

बैंक की गतिविधियों में प्रवासी महिलाओं की भागीदारी

यदि बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो यह प्रतिशत अत्यंत ही कम है। सारणी संख्या 9 से स्पष्ट है कि, कुल महिला प्रवासियों में से केवल 45.5 प्रतिशत महिलाओं का ही बैंक में खाता है। निम्न सारणी कुल महिलाओं की भागीदारी को स्पष्ट कर देती है।

सारणी संख्या (10) बैंक के कार्य स्वयं करने की प्रतिशतता तीनो क्षेत्रों के कुल उत्तरदाता : 91

क्रं सं.	कार्य करते हैं	उत्तरदा. की सं.	उत्तरदा. का प्रतिशत
1	स्वयं करती हैं	32	35.16
2	अन्य (पति, बच्चे आदि) करते हैं	59	64.83
3	कुल	91	99.99

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-3 February -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

स्रोत– शोधकर्त्ता द्वारा किया गया सर्वेक्षण

इन 45.05प्रतिश. महिलाओं में से केवल 35. 16प्रतिश. महिलाएं ही बैंक की गतिविधियां स्वयं करती हैं। जबकि 64.83प्रतिश. महिलाओं का यह कार्य या तो उनके पति करते हैं या बच्चे करते हैं या फिर वे किसी अन्य व्यक्ति से यह कार्य करवाती हैं। इसका कारण है जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव आदि।

जांच–परिणाम

यह लेख दिल्ली में बिहार की प्रवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अनेक पहलुओं को सामने लाने का एक प्रयास है। वर्तमान समय में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। किंतु इन प्रवासी महिलाओं से वह प्रयास तथा सहायता दूर ही नजर आती है। किंतु फिर भी प्रवासी महिलाएं दिल्ली में निवास कर रही हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि वे यहां पर अपने जीवन को नई दिशा दे सकती हैं।

सुझाव

प्रवासी महिलाएं स्वयं की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करती हैं। किंतु उनके पास रोजगार के अवसर न के समान हैं। घरेलु महिलाएं जो काम करती हैं उनमें पारिश्रमिक अत्यंत कम मिलता है साथ ही जो महिलाएं घर से बाहर निकलकर कार्य करती हैं उनका भी पारिश्रमिक अति निम्न है। दिल्ली में बिहार की प्रवासी महिलाओं के आर्थिक स्तर को सुधारने तथा सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में वे सरकार से काफी उम्मीद रखती हैं। वे चाहती हैं कि सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करे। किंतु यह उम्मीद केवल उम्मीद ही बनकर रह गई है। अतः सरकार तथा महिला संगठनों आदि को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों के माध्यम से इस ओर विशेष प्रयास किए जाने अति आवश्यक है, ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

निष्कर्ष

माताओं, गृहणियों, पत्नियों और बहनों के रूप में महिलाओं की भूमिका को अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन एक देश की संपूर्ण शक्ति संबंधों को बदलने में उनकी भूमिका एक आधुनिक अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाता है (गुप्ताः 2006)। अभी भी अधिकांश महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और उनकी समग्र स्थिति में बहुत कम प्रगति हुई है। महिलाओं और विकास के संदर्भ में सशक्तिकरण को शामिल करना चाहिए (मेहरा : 1997)। महिलाएं अभी भी समाज में अल्पसंख्यक हैं। हालांकि वे कुल जनसंख्या का पचास प्रतिशत हैं। अतः इन मजबूत पचास फीसदी आबादी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक और कानूनी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता सामाजिक व्यवस्था के सभी पहलुओं में पूर्ण समानता का अधिकारी है (आस्पि व संधु : 1999 : 9)। समाज में पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए यह अति आवश्यक है कि, दो लिंगों के बीच, सभी प्रकार के वर्चस्व, उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *सिंह, जी. पी., 1986, पैटर्न्स ऑफ रूरल माग्रेशन इन इंडिया, न्यू दिल्ली:इंटर इंडिया*
2. *गुप्ता, प्रदिप्ता, 2017, माइग्रेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू नेशनल केपिटल टेरिट्री ऑफ दिल्ली, ए ज्योग्राफिकल स्ट्डी, पंजाब यूनिवर्सिटी*
3. *चट्टोपाध्याय, 2005, वुमेन एंड एंटरप्रिनियर्शिप, योजना, ए मंथली जरनल ऑफ मिनिस्ट्री ऑ इंफोर्मेशन एंड ब्रॉड्कास्टिंग, 5(1), नई दिल्ली*
4. *सहाय, सुषमा, 1998, वुमेन एंड इंपावरमेंट : एप्रोचिज एंड स्ट्रेटिजीज, डिस्करवी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*
5. *बिस्वास, एस. के., 2010, न्यू ट्राएबल पंचायत इन आइसलैंड, कुरुक्षेत्रा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली*
6. *कपूर, पी., 2001, इंपावरिंग द इंडियन वुमिन, पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रोड्कास्टिंग, गवर्मेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली*
7. *पेटेर्सन, ड्ब्ल्यू, 1955, प्लान्ड माइग्रेशन :द सोशल डेटर्मिनेंट्स ऑफ द डच–कैनेडियन मूवमेंट, बार्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रैस*
8. *ट्रेवर, जे. डी., 1961, प्रिडिक्टिंग माइग्रेशन, सोशल फोर्सिस, 39, 207–213*
9. *सहोता, जी. एस., 1968, एन इकॉनोमिक एनालिसिज ऑफ इंटरनेशनल एक्स्प्लानेशन इन ब्राईल, जर्नक ऑफ पोलिटिकल इकॉनोमिक, 76(2), 218–245*
10. *जेब्स, पेट्रिक्स, एटऑल, 1992, ए पैराडाएग्राम शिफ्ट इन माइग्रेशन एक्स्प्लानेशन इन कम्यूनिटी सोसाईटी एंड माइग्रेशन इन अमेरिका, यूनिवर्सिटी प्रैस ऑफ अमेरिका*
11. *वेंक, डी. एन., एंड हार्डेस्टी, कॉस्टेन्स, 1993, द इफेक्ट्स ऑफ रूरल–अर्बन माइग्रेशन ऑन द पॉवर्टी स्टेटस ऑफ यूथ इन द 1980, रूरल सोशियोलॉजी, 59(1)*
12. *गुप्ता, कमल, 2006, एविडेंस ऑफ वुमेन इंपावर्मेंट इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ सोशियो–स्पेशियल डिस्पेरीटीज, जीयो जर्नल, 65*
13. *मेहरा, रेखा, 1997, वुमेन, इंपावर्मेंट एंड इकॉनोमिक्स डेवमेंट, द एनुअल ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पोलिटिकल एंड सोशल साइंस*
14. *आस्पि, सी. बी. एंड संधु, डी. एस., 1999, इंपावरिंग वुमिन फॉर इक्विटी : ए काउंसलिंग एप्रोच, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, एलेक्जेंड्रिया, वी.ए. 22304*
15. *टोडारो, एम. पी., 1969, ए मॉडल ऑफ लेबर माइग्रेशन एंड अरबन एम्प्लोयमेंट इन लैस डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू, 59 (1)*
16. *कबीर, नायला, 2011, कॉन्टेक्चेलाइजिंग द इकॉनोमिक्स पाथवेय ऑफ वुमेन्स इंपावरमेंट, फांडिंग्स फॉम ए मल्टी–कंट्री रिसर्च प्रोग्राम*
17. *सिंह, अर्चना, 2005, माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमेन्स, द कुरुक्षेत्रा जनवरी, 2005, वॉ. 53, नं. 3, पेज 39*
18. *लांग्लेय, ई. एंड फॉक्स, वी. सी., 1994, वुमेन्स राइट्स इन द यूनाइटिड स्टेट्स : ए डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री (ई.डी.एस.) वेस्ट पोर्ट, कॉनेक्टीकट : विस्टन ग्रीनवुड प्रैस*

19. *वेरबा, एस. एवं नाइ, एन. पी., 1972, पार्टीसिपेशन इन अमेरिका : पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड एक्वेलिटी, न्यूयॉर्क : हार्पर एंड रॉ, पब्लिशरम इन्स*
20. *पेत्रिशिया, डार्लिंगटन एंड मुलवेनेय, 2003, वुमेन पॉवर एंड एथनिसिटी – वर्किंग टुवर्ड्स रेसिप्रोकल इंपावरमेंट्म द हेल्थ प्रैस, न्यूयॉर्क, लंदन, ऑक्सफोर्ड, पेज 12*
21. *शाह, एम. एम., सस्टेनैबल डेवलपमेंट, (साईंस डाएरेक्ट. कॉम) साईंस डाएरेक्ट, इंसाएक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी*
22. *इलिऑट, सी. एम., 2008, ग्लोबल इंपावरमेंट ऑफ वुमेन : रिस्पॉसिस टु ग्लोबेलाजेशन एंड पॉलिटिसाइज्ड रिलीजन्स, रुल्ड्ज, न्यूयॉर्क*
23. *भद्रा, बी, 2001, जननी हे प्रयुक्तिः लिंगकर्ण हे क्षमात्यनार साहबस्तन, (बंगाली एड।), योजना*

वेबसाइट्स

1. *www.google.com*
2. *Retrieved from http://www.empowermentillustrated.com*
3. *(Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment).*